न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 08 / 2022 / जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. अर्जुनसिंह पुत्र जेठमलसिंह 2. खीमसिंह पुत्र जेठमलसिंह 3. भगवानसिंह पुत्र जेठमलसिंह 4. चौथमलसिंह पुत्र जेठमलसिंह 5. जसवन्तसिंह पुत्र तेजसिंह 6. छोटूसिंह पुत्र तेजसिंह 7. श्रीमती निजरकंवर पत्नी तेजसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण खुहड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. गोरधनसिंह पुत्र जेठमलसिंह 2. जसुकंवर पत्नी उगमसिंह 3. तीजकंवर पत्नी नखतसिंह 4. पुरोंकंवर पत्नी जबरसिंह 5. मीनाकंवर पत्नी पृथ्वीराजसिंह 6. मेहताबसिंह पुत्र हाथीसिंह 7. दरियाकंवर पत्नी हमीरसिंह 8. मीनाकंवर पत्नी मेहताबसिंह 9. रूखमकंवर पत्नी भीमसिंह 10. विजेन्द्रसिंह पुत्र मेहताबसिंह जाति राजपूत निवासी खुहड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 11. चुतर कंवर पुत्र हाथीसिंह पत्नी भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया हाल निवासी भवानीपुरा पोकरण 12. श्रीमती दरिया कंवर पुत्री हाथीसिंह पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी तेजमालता तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 13. शैतानसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी वरणा तहसील व जिला जैसलमेर 14. पेम्पसिंह पुत्र नखतसिंह 15. गणपतसिंह पुत्र नखतसिंह 16. गिरधरसिंह पुत्र नखतसिंह 17. प्रतापसिंह पुत्र नखतसिंह 18. फुलकंवर पुत्री नखतसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुहड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण 20. अडाणी ग्रीन एनर्जी सेशन लिमिटेड जरिये देवेश शर्मा एरिया मैनेजर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 43 / 2021 बअनवान अर्जुनसिंह वगेरा बनाम गोरधनसिंह आदेश दिनांक 27.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री शाले मोहम्मद रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 व 14 से 18 की ओर से।
3. वकील श्री पीताम्बरदास परमार रेस्पोडेंट संख्या 20 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 27.12.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खुहड़ा एवं सांकड़ा तहसील पोकरण में अपीलांटस एवं उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक सम्पति की भूमि मौजा खुहड़ा के खसरा संख्या 01 व 16 तथा सांकड़ा के खसरा संख्या 245, 246, 247, 248 खुहड़ा के खसरा संख्या 02, 14 नकल बन्दोबस्त व चालु खतौनी साथ पेश है। मौजूदा अपील एवं वाद खेत खसरा संख्या 14 के नवीन खसरा संख्या 175/14 से विभाजित खसरा संख्या 266/75, 267/75, 264/75 व 265/75 रकबा 500 बीघा मौजूदा खुहड़ा के संबंध में है। उतरदाता संख्या 01 व हाथीसिंह ने अपीलांट को उनके हकुकों से वंचित रखने के लिये बिना अपीलांटस को सूचना दिये तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाये गलत रूप से खेत खसरा संख्या 14 में 500 बीघा भूमि अपने अकेले के नाम करवा ली, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत् 2012 में लागु हुआ, उससे पूर्व से लगातार आज दिन तक इस भूमि पर अपीलांटस एवं उनके पिता के संयुक्त रूप से उक्त भूमि 500 बीघा के 1/2 हिस्से पर सहखातेदार के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ कब्ज काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 01 की पिढियों से कब्जा सुदा पैतृक भूमि चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि मौजा खुहड़ा एवं सांकड़ा तहसील पोकरण में अपीलांटस एवं उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक सम्पति की भूमि मौजा खुहड़ा के खसरा संख्या 01 व 16 तथा सांकड़ा के खसरा संख्या 245, 246, 247, 248 खुहड़ा के खसरा संख्या 02, 14 नकल बन्दोबस्त व चालु खतौनी साथ पेश है। मौजूदा अपील एवं वाद खेत खसरा संख्या 14 के नवीन खसरा संख्या 175/14 से विभाजित खसरा संख्या 266/75, 267/75, 264/75 व 265/75 रकबा 500 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजूदा खुहड़ा के संबंध में है। उतरदाता संख्या 01 व हाथीसिंह ने अपीलांट को उनके हकुकों से वंचित रखने के लिये बिना अपीलांटस को सूचना दिये तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाये गलत रूप से खेत खसरा संख्या 14 में 500 बीघा भूमि अपने अकेले के नाम करवा ली, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत् 2012 में लागु हुआ, उससे पूर्व से लगातार आज दिन तक इस भूमि पर अपीलांटस एवं उनके पिता के संयुक्त रूप से उक्त भूमि 500 बीघा के 1/2 हिस्से पर सहखातेदार के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ कब्ज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 व 14 से 18 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2022 को जो आदेश पारित किया गया उसमें अपीलांटस की अपील प्राथमिक स्टेज पर खारिज की गई। उतरदातागण रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त रेस्पोडेंटस का जिसे प्राप्त करने हेतु अपीलांटगण ने कोई दावा नहीं किया गया। अपीलांटगण द्वारा किया गया दावा अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 20 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। अपीलाधीन आराजी पर प्रोजेक्ट वर्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का कार्य किया जा रहा है। अपीलांटस ने लालच में आकर कंपनी के कार्य में बाधा पैदा करने की नियत से हस्तगत अपील एंव दावा पेश किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर हम रेस्पोडेंटस का कब्जा है जिसमें विकास कार्य किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा सुदीर्घ अवधि के पश्चात दावा पेश किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटगण का हक हिस्सा है या नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य सबूतों से तय होना हैं। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई निर्णयों में अवधारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश अपील पोषणीय नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 43/2021 बअनवान अर्जुनसिंह वगेरा बनाम गोरधनसिंह आदेश दिनांक 27.01.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर